न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

(प्रथम लिंक अधिकारी)

2025-697RAABarmer2025-347RTA223 Malaram ors Vs Bagaram etc

01. मालाराम पुत्र पैलादराम
02. ओमाराम पुत्र पैलादराम
03. लुम्बाराम उर्फ लुम्भाराम पुत्र पैलादराम
04. मीरों पत्नि पैलादराम

जाति जाट निवासी मानपुरा खारडा (गिडा) तहसील गिडा जिला बाडमेर।

अपीलाण्ट्स ...

ब
ना
म

1. बागाराम पुत्र पीथाराम
2. मगाराम पुत्र पीथाराम
3. सवाईराम पुत्र पीथाराम
4. गैरों पत्नि पीथाराम
5. मेघाराम पुत्र केहराराम
6. गिरधारीराम पुत्र सरूपाराम
7. चनणाराम पुत्र सरूपाराम
8. उदी पत्नि सरूपाराम
9. देवाराम पुत्र पुरखाराम

जाति जाट निवासी मानपुरा खारडा तहसील गिडा जिला बाडमेर।

10. तहसीलदार गिडा जिला बाडमेर
11. पुनीदेवी पत्नि राजूराम
12. गंगादेवी पत्नि अमराराम

जाति जाट निवासी मालदेता, गिडा तहसील गिडा जिला बाडमेर।

13. खेताराम गोदपुत्र नारणाराम निवासी मानपुरा खारडा तहसील गिडा जिला बाडमेर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04 अक्टूबर 2021 सहायक कलक्टर बायतु राजस्व मूल वाद संख्या 23/2018 मालाराम व अन्य बनाम बागाराम इत्यादि

उपस्थित–
श्री हरीराम चौधरी, अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स
श्री रोशनलाल अधिवक्ता रेस्पो. संख्या एक

नि र्ण य

दिनांक : 13 मई 2026

अपीलाण्ट्स ने अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बायतु द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 23/2018 अनवान मालाराम व अन्य बनाम बागाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04 अक्टूबर 2021 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 24 दिसंबर 2025 को प्रस्तुत की है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अपीलांट्स की ओर से अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को माफ किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलांट्स एवं रेस्पो. संख्या 13/वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 53 एवं 188 के तहत वादग्रस्त आराजीयात मौजा मानपुरा खारडा पटवार क्षेत्र गिडा तहसील गिडा जिला बाडमेर के खसरा नम्बर 240 रकबा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 241 रकबा 01.08 बीघा, खसरा नम्बर 242 रकबा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 243 रकबा 50.12 बीघा, खसरा नम्बर 248 रकबा 79.06 बीघा, खसरा नम्बर 339/243 रकबा 04.16 बीघा कुल रकबा 137.10 बीघा तथा मौजा सिसोदिया पाना पटवार क्षेत्र गिडा तहसील गिड़ा के खसरा नम्बर 25 रकबा 101. 02 बीघा, खसरा नम्बर 326/25 रकबा 23.10 बीघा कुल रकबा 124.12 बीघा के संबंध में घोषणा, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 06 नवंबर 2019 को निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने के आदेश दिये गये। तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 04 अक्टूबर 2021 को अन्तिम निर्णय व डिक्री पारित कर दी गई, जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तारीख 06.11.2019 को प्राथमिक डिक्री जारी कर विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार बायतु से मंगवाया गया। इस संबंध में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा विभाजन के जो नियम बनाये है, उसके अनुसार विभाजन का प्रस्ताव भूमिधारक स्वयं द्वारा मौके पर जाकर ऐसे विभाजन प्रस्ताव को तैयार करने का दिन निश्चित कर वाद प्रकरण के पक्षकारों/सहखातेदारों को लिखित सूचना इस आशय की देगा कि उक्त कृषि भूमि का बाई मीट्स एण्ड बाउण्स बंटवाडा तकासमा किया जाना है, जिस हेतु आप सभी सहखातेदार अमुक तारीख को उपस्थित रहे। जिस पर हल्का पटवारी, आर आई ने अपीलान्टगण को धोखे में रखते हुये विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया तथा अपीलान्टगण को अंधेरे में रखते हुये विभाजन प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करवा लिये। उक्त विभाजन प्रस्ताव में अपीलान्टगण के हिस्से में रखी गई भूमि को रास्ता से नहीं जोडा गया तथा अपीलान्टगण को रास्ते की सुविधा से वंचित करते हुये विभाजन प्रस्ताव अपीलान्टगण को धोखे में रखते हुये तैयार किया गया, जबकि हल्का पटवारी व आर आई ने अपीलान्टगण को रास्ते से जोडते हुये विभाजन प्रस्ताव तैयार करने का आश्वासन देने के कारण ही अपीलान्टगण ने विभाजन प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किये गये थे। अपीलान्टगण व उतरदातागण की भूमि दोनों गांवो की सरहद पर होने व सेढे पर ऑवरलेपिंग है तथा ऑवरलेपिंग के सेढे की भूमि की तरफ अपीलान्टगण अकेले के हिस्से में भूमि रखी गई है, जबकि ऑवरलेपिंग के मौके पर दस बीघा भूमि कम पड़ रही है, जिस कारण अपीलान्टगण के हिस्से में कम भूमि आई है, जबकि नियमानुसार ऑवरलेपिंग भूमि सभी

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

खातेदारों के हिस्से में समान रूप से कम कर रखी जानी चाहिये। विभाजन प्रस्ताव में अपीलान्टगण व उत्तरदातागण के मध्य पूर्व में आपसी सहमति से किये गये बाहामी बंटवाडे को नजर अन्दाज करते हुऐ राजस्व कर्मचारियों ने उतरदातागण के साथ मिलीभगत करते हुऐ मौके पर गये बिना ही अधिनस्थ न्यायालय के कर्मचारियों ने ही कार्यालय में बैठकर उतरदातागण के दबाव में रहते हुऐ उसके कहे अनुसार अपीलान्टगण को धोखे में रखते हुये विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया, जो विभाजन प्रस्ताव निष्पक्ष नहीं होकर एकपक्षीय व पक्षपात पूर्ण तरीके से तैयार करवाया गया है जो कतई मानने कोई नहीं है तथा उक्त एकपक्षीय रूप से तैयार किये गये विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अंतिम डिक्री व निर्णय पारित किया गया है जो अपास्त किये जाने योग्य है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर अपीलांट्स के अधिवक्ता ने कथन किया कि अपील अन्दर म्याद पेश है, क्योंकि अपीलान्ट्स को धोखे में रखकर विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से इस संबंध में जानकारी तत्समय नहीं हो सकी तथा उसके बाद उतरदातागण द्वारा राजस्व रेकर्ड में परिवर्तन करवाने पर आमादा हो गये तथा अब वर्तमान में मौके पर उतरदातागण द्वारा अपीलान्ट्स के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करने लगे तथा जबरन बेदखल करने धमकी दी, जिस पर अपीलान्ट्स को अपने हक हकुक संशय प्रद लगे तो अपीलान्ट ने आलोच्य निर्णय एवं डिक्री की दिनांक 22.12.2025 को नकले प्राप्त की, जिस पर अपीलान्ट को सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी हुई, जिससे यह अपील अन्दर म्याद पेश है। फिर भी जानकारी के अभाव में हुये विलम्ब को क्षमा किया जाना न्यायोचित है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बायतु द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 23/2018 अनवान मालाराम व अन्य बनाम बागाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04 अक्टूबर 2021 को अपास्त किया जावे एवं मामला विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जावे कि वह वादग्रस्त भूमि के संबंध में विभाजन प्रस्ताव पुनः तहसीलदार स्वयं के मौके पर जाकर ओवरलैप की जमीन को हिस्से अनुसार समयोजित करते हुये पक्षकारान को सूचना देकर पक्षकारान व मौतबिरान के रूबरू मौके के कब्जा काश्त के अनुसार तैयार कर मंगवाकर उसके आधार उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर लेकर वाद का पुनः विधिनुसार निस्तारण करे।

जवाब में रेस्पो. के अधिवक्ता ने अपीलांट्स के अधिवक्ता के कथनों का समर्थन करते हुए मामले में मौके पर पक्षकारान् के कब्जे काश्त अनुसार पुनः विभाजन प्रस्ताव तलब किया जाकर मामले में पुनः अंतिम डिक्री जारी किये जाने हेतु मामला विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जहां तक अपीलांट्स द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब का प्रश्न है,

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु म्याद हित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती है।

गुणावगुण पर विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव दिनांक 06.06.2020 के अवलोकन मुताबिक तहसीलदार बायतु द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल) नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव स्वयं मौके पर जाकर तैयारन नहीं किया जाकर भू–अभिलेख निरीक्षक गिड़ा द्वारा तैयार किया गया है तथा तहसीलदार बायतु द्वारा उस पर काउंटर हस्ताक्षर कर विचारण न्यायालय को प्रेषित किया जाना प्रकट होता है। विभाजन प्रस्ताव में प्रत्येक जोत तक रास्ते का भी प्रावधान नहीं रखा गया है। अपीलांट्स का कथन है कि वादग्रस्त आराजीयात दो गावों की सीमा पर अवस्थित होने से ऑवरलेपिंग है तथा मौके पर रकबा कम है। विभाजन प्रस्ताव में उक्त कम रकबे को पक्षकारान् में समानुपात में कम नहीं किया गया है। यह उल्लेखनीय है कि रेस्पो. की ओर से मामला मौके पर कब्जे काश्त अनुसार वादग्रस्त आराजीयात का विभाजन किये जाने हेतु प्रकरण पुनः प्रतिप्रेषित किये जाने का निवेदन किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर गौर किये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये जाने पाये जाते है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री विधिविरूद्ध पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरते है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट गुणावगुण एवं उभय पक्ष की सहमति से आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बायतु द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 23/2018 अनवान मालाराम व अन्य बनाम बागाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04 अक्टूबर 2021 अपास्त किय जाते है तथा मामला विचारण को इन दिशा निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह तहसीलदार से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955(राजस्व मण्डल) के नियम 18 से 21 की पूर्ण पालना में तहसीलदार स्वयं की मौके पर उभय पक्षकारान् की उपस्थिति विभाजन प्रस्ताव तैयार करवाकर मौके पर ऑवरलेप रकबे का समानुपात में समायोजन करते हुए तलब किया जावे एवं उस पर विधिनुसार उभय पक्ष को आपत्ति प्रस्तुति एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विधिनुसार मामले में अंतिम डिक्री जारी करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील अधिकारी, बाड़मेर